

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, ललितपुर

पत्रांक 1255 / वि०वि०ख०-द्वि०(ल०)/राजस्व

दिनांक 15/06/23

विषय- प्राक्कलन की (निरूपण पत्र) टी०सी० धनराशि जमा कराने के सम्बंध में।

प्रोजेक्ट टी०सी०

श्री नन्दराम पुत्र श्री रामचरन

ग्राम बंगरुआ जिला ललितपुर। 145/2023-24

कार्य का विवरण- निजीनलकूप पूर्ण योजना में 05 एच०पी० का
विद्युत संयोजन देने का कार्य।

पी०टी०डब्लू० पूर्णजमा
योजना

1008265469

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिये गये के अनुपालन उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा
प्रेषित प्राक्कलन/टी०एफ०आर० के अनुसार टी०सी० का विवरण निम्नवत् है।

01 लाइन चार्ज

रु० 105439.00

02 जमानती धनराशि

रु० 1500.00

कुल योग रु

106939.00

सर्विस केबिल उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार क्य कर लें, सर्विस केबिल की धनराशि प्राक्कलन में नहीं ली गयी है।
आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त टी०सी० की धनराशि तीन माह (90 दिन) के अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराना
सुनिश्चित करें-

4. इकाई पर स्थापित मशीनरी की घोषणा फार्म 'ए' तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें।

5. इकाई पर कार्य की पूर्णता एक परीक्षण फार्म 'बी' एण्ड 'एल' तीन प्रतियों प्रस्तुत करें।

6. अपने परिसर पर... के०वी०ए०आर० का शट कैपेसिटर स्थापित करवा कर एवं टैस्ट अपने अनुज्ञाकारी टेकेदार (विद्युत
टेकेदार) के उसका पूर्ण वी०एण्ड०एल० फार्म में आवश्यक रूप से अंकित कराये तथा उसके केश- भीमों की छायाप्रति जमा कराये।

7. 100 रु० के नॉन जुडीषियल स्टाम्प लेकर अनुबन्ध करने हेतु इस कार्यालय में किसी भी दिन कार्य दिवस में दो
गवाहों के साथ उपस्थित हो।

8. स्टेट बैंक या ट्रेजरी में 045 विद्युत कर भारतीय नियमावली के अन्तर्गत फीस मद में नियमानुसार जमा करें एवं
चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

9. इकाई को चलाने हेतु सम्बंधित शासन/जिला परिषद, टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया या केन्टोमेन्ट का लाइसेन्स
प्रस्तुत करें।

10. इस आशय का लिखित पत्र प्रस्तुत करें कि जिस मकान में इकाई स्थापित की जा रही है वह मकान आपका
अपना निजी है किरायदार की स्थिति में मकान मालिक की स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा मकान के हाउस टैक्स की रसीद
की छायाप्रति भी जमा करें।

11. दो सत्यापित फोटो जमा करें।

20. यदि आपकी संख्या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/लिमिटेड कम्पनी है तो अर्टिकल्स एवं मैमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन
की सत्यापित प्रतिलिपि जमा करानी होगी तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के पूर्व वैधानिक पावर ऑफ एटोनी भी जमा
करानी होगी। पार्टरशिप डील की पंजीकृत छायाप्रति प्रेषित करें।

नोट-11 KV लाइन व 25 KV। परिवर्तक स्थापित करते समय किसी भी प्रकार की आपत्ति/व्यवधान का निस्तारण
आपके द्वारा किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में आपके द्वारा जमा की गई निरूपण पत्र (टी०सी०) की धनराशि न तो बिल
में समायोजित की जायेगी, और न ही वापिस की जायेगी।

**जब तक सामग्री निर्गत नहीं होगी जबतक स्टीमेट ईआरपी (ऑनलाइन प्रक्रिया) सिस्टम पर पास नहीं होगा।
पैसा जमा करने से पहले जानकारी कर ले कि आपका स्टीमेट ऑनलाइन प्रक्रिया से बना है या नहीं अगर नहीं
तो पैसा जमा न करें।**

उपरोक्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होने पर इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत भार अवमुक्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की
जायगी। इस पत्र के जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर यदि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होने पर बिना किसी अन्य
नोटिस के आपकी विद्युत भार स्वीकृति रद्द की जायगी। जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

अधिशासी अभियन्ता

